कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक – 648 दिनांक– 26/8/09

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

विषय :– **पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा बोकना सुरक्षित वन (Protected forest) में 134.133 हे0 वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव ।**

प्रसंग – **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सिंहभूम का पत्रांक 1079 दिनांक – 23.07.09.**

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासांगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत मौजा में 134.133 हे0 वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त है।

प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित भूमि का लीज 1922 से 1972 तक श्रीमति डी0 के0 बाई के पक्ष में स्वीकृत था । झारखण्ड सरकार खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय के पत्र संख्या -B/m-6-105/41-1727/m दिनांक – 17.12.04 के द्वारा सर्वश्री रूँगटा सन्स प्रा0 लि0 को बोकना ग्राम में आवेदित क्षेत्र में से संबंधित वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पूर्वानुमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया है । खान निदेशालय का पत्र अनु0 - I पर उपलब्ध है । इस कारण प्रयोक्ता अभिकरण Deemed Lessee की श्रेणी में आते हैं ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सिंहभूम के प्रासांगिक पत्र के पृष्ठ – 3 पर स्थल निरीक्षण का निदेश करने की कृपा करें उन्होंने सूचित किया है कि 1922 से 1972 की अवधि में नियमित खनन् न कर Hand mining पद्धति से खनन किया गया है । पूर्व लीज धारी द्वारा ऐसे खंडित क्षेत्र का आकलन 50 हे0, खनन पिट के बीच में स्थित अखंडित स्थानों का रकबा 46.80 हे0 तथा अखंडित क्षेत्र का रकबा 37.333 हे0 किया गया है । इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र में 50.00 हे0 पूर्व लीजधारी द्वारा खंडित तथा 84.133 हे0 अखंडित क्षेत्र है ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सिंहभूम द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में 1972 के बाद से कार्य बन्द है । ऐसा ही सदृश्य मामला टिस्को नुवामुण्डी हिल - III का था । (दृष्टव्य वन एवं पर्यावरण विभाग पत्रांक वन0 भू0 ह0 – 55/97–662 ई0 व0 प0, पटना – 15 दिनांक – 10.10.98 ।) इस मामले में सहायक वन महानिरीक्षक [AIG (FC)] भारत सरकार के पत्रांक 8–279/85– FC दिनांक – 21.02.2000 जो बिहार राज्य सरकार को संबोधित है के

निदेशानुसार 24.43 हे0 वनभूमि को Fresh forest area उल्लेखित किया गया है, ...
अपयोजन से संबंधित 134.133 हे0 वनभूमि से अखंडित भूमि की श्रेणी में ही रखना उचित होगा । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को 134.133 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध करानी होगी ।

मौजा बोकना में प्रस्तावित वनभूमि के प्रयोजन वार उपयोग की विवरण निम्नवत है :–

Mining	-	107.839 हे0
~~Stoning~~ Storing	-	2.510 हे0
Dumping of over burden	-	15.162 हे0
Construction of building		
Rest shelter magazine cretch etc	-	0.040 हे0
Mining office labour hutment etc	-	2.560 हे0
Construction of road etc	-	0.022 हे0
Sub Total		**134.133** हे0
Safety zone for mining operation	-	4.677 हे0
Total		**138.81** हे0

वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव के संबंध में निम्नवत सूचनाएं भेजी जा रही है :–

(क) विषयोक्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र में है ।

(ख) प्रस्ताव के प्रपत्र भाग - I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचनाएँ अंकित की गयी है, जबकी प्रपत्र भाग – II, III ,एवं III A में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल, वन संरक्षक दक्षिणी अंचल चाईबासा एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा सूचनाएँ अंकित की गयी है ।

(ग) सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोशीट जिसमें प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाया गया है, मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

(घ) इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न है Annexure - 13

(ड.) वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित रिक्लेमेशन प्लान प्रस्ताव संलग्न है (प्रस्ताव के साथ) Annexure - 6

(च) लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न है Annexure - 7,8,9,10 में ।

(छ) प्रस्ताव में गैर मजरूआ भूमि अंतर्गस्त नहीं है, अतः संबंधित उपायुक्त के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(ज) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गिरीडीह, लातेहार एवं सिंहभूम पूर्वी जिला के अंतर्गत कुल 134.133 हे0 वनभूमि, प्रस्तावित है, उक्त गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्रय की गई है ।

प्रस्तावित समतुल्य गैर वनभूमि से संबंधित अन्य अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है । Annexure - 15 में।

(झ) प्रयोक्ता अभिकरण ने stage - I की स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों के अनुपालन के समय क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि को विभाग के पक्ष में mutation & transfer करने के संबंध में undertaking समर्पित किया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है । Annexure - 5A में । स्टेज – I की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की योजना तथा गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित करते हुये अधिसूचित कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

(ट) जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रपत्र भाग – II की कंडिका – 12 में अंकित है ।

(ठ) पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक – RS/ED/2008-09-675 दिनांक – 22.05.2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को आवेदन भेजा गया है । पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक – 08.06.09 को लोक सुनवाई हो चुकी है । पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये आवेदन तथा लोक सुनवाई की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है Annexure - 6A में ।

(ड) इस वनभूमि अपयोजन में लोगों के विस्थापन नहीं होना प्रस्तावित है ।

(ढ) प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित खनन पट्टा के समीपस्थ स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का सहमति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है । Annexure - 12 में ।

(त) प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी आश्रयणी का हिस्सा नहीं है ।

(थ) प्रस्तावित वन क्षेत्र पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है Annexure - 14 में । सैम्पल सर्वे के आधार पर वृक्षों की कुल संख्या 12573 है ।

(द) उद्यतन जानकारी के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पुरातत्व से संबंधित कोई इमारत नहीं है ।

(ध) प्रस्तावित क्षेत्र गज आरक्ष में पड़ता है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के कार्यालय पत्रांक 187 (विविध) 09–10/505 दिनांक – 16.07.09 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित खनन् क्षेत्र के 10 कि0 मी0 के अन्दर कोई हाथी कोरिडोर अवस्थित नहीं है ।

वन्य प्राणी प्रबन्धन हेतु आपके स्तर से निर्णय किया जा चुका है कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला के लिये एक समेकित वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना सूत्रित की जायेगी और सभी प्रयोक्ता अभिकरणों से योजना के वित्तिय संपोषण हेतु अपयोजित होने वाले रकबा के समानुपातिक राशि की वसूली की जायेगी । प्रयोक्ता अभिकरण से इस संबंध में वचन बद्धता प्राप्त की जाने की अनुशंसा की जाती है ।

अतः प्रस्ताव की 4 (चार) प्रतियाँ सभी अनुलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि उक्त संबंधित वनभूमि अपयोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु0 याथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप 648 दि 26/8/09

25/8/09

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि
विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची

D:\Office\Bookana 04-08-09.doc